

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

हरजीत कौर बनाम कुलदीप कौर आदि

अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए नम्बर 22 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/337 (2024/349)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तामिल
हुकम

28.10.2024

प्रार्थी हरजीत कौर पत्नी पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री रामदास सोलंकी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। रास्ता के संबंध में रिपोर्ट हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को पत्र लिखा जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.11.2024 को पेश हो। *[Signature]*

तामिल जारी
453
3/11/24

26/11/24

वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं।
पत्रावली दिनांक 20/11/24 को पेश हो। *[Signature]*

20/12/24

वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं।
पत्रावली दिनांक 20/11/24 को पेश हो। *[Signature]*

20/01/25

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन तलवाना पेश हो। पत्रावली वरिष्ठ तलबी दिनांक 17/12/25 को पेश हो। *[Signature]*

17/02/25

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन तलवाना पेश हो। पत्रावली वरिष्ठ तलबी दिनांक 18/3/25 को पेश हो। *[Signature]*

24/02/25

आपू भह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा साप्यना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। साप्यना पत्र में विवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में साप्यना लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहती। साप्यना अधिवक्ता को खनागपा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। निहाना प्रार्थी का साप्यना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA नोटिस करने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विगीत होकर नम्बर से कम होकर दाखल वकालत हो। *[Signature]*

हरजीत कौर
[Signature]
24/2/25

